राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com

क्रमांक : **F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/** 2615 दिनांक : 30.10.2015

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12. 2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 को 02:30 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मन्जीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :–

- श्री पुरूषोत्तम बियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य)
- श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य सचिव)
- संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/प्रतिनिधि (संलग्न परिशिष्ट 'अ') (सदस्य)
- नगर नियोजन विभाग से निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :–
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
  - उप नगर नियोजक, उदयपुर
  - सहायक नगर नियोजक, बीकानेर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर)
  - सहायक नगर नियोजक, जयपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर)

समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

01.	प्रस्तुत प्रकरणों की कुल संख्या	76
02.	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	63
03.	अन्य दस्तावेजों के अभाव में आगामी बैठक में प्रस्तुत किये	06
04.	निरस्त प्रकरणों की संख्या	03
05.	स्थानीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को अधिकृत किया	04

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव द्वारा गत बैठक दिनांक 30.04.2015 में लिये गये निर्णय की पालना बाबत् चर्चा की गयी एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्णय की कियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं आगामी बैठक से पूर्व Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार अनुमोदन पश्चात् संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2616-18 दिनांक : 30-10-15

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राष्ट्रीय राजधानीय क्षेत्र (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।

30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2619-79 दिनांक : 30-10-2015

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर , कोटा, उदयपुर एवं उप नगर नियोजक,अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त , नगर परिषद, चुरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, डुंगरपुर, चित्तोड़गढ़, किशनगढ गंगापुरसिटी, बारां,।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), मालपुरा,, गुलाबपुरा, रावतसर, श्री डूंगरगढ़, सरदारशहर, नोखा, भादरा, अनुपगढ़, फुलेरा, साम्भर लेक, उदयपुरवाटी, मण्डावा, शाहपुरा, नीमकाथाना, सुमेरपुर, तखतगढ़, सादड़ी, पिण्डवाड़ा, फलोदी, अन्ता, निम्बाहेडा, देवगढ़, कानोड, नाथद्वारा, बड़ी सादड़ी, सलूम्बर, नंदबई, डीडवाना, रायसिंहनगर, सुरतगढ़, पीलीबंगा, कोटपूतली।

30/10/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति

(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)

टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2557-63 **दिनांक : 30.10.2015**

वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर
उप नगर नियोजक,
अलवर क्षेत्र, अलवर।

विषयः–नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 का ऐजेण्डावार कार्यवाही विवरण के संबंध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम/परिषद/पालिका सें संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 10.09.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी किया जा रहा है।

यद्यपि सम्पूर्ण एजेण्डों का समूचित परीक्षण किया गया है। तथापि सहवन से कोई त्रुटि रह जाती है तो अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

30/10/2015

(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-III/15/2564-2614 **दिनांक : 30-10-2015**

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर , कोटा, उदयपुर एवं उप नगर नियोजक,अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त , नगर परिषद, चुरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, डुंगरपुर, चित्तोड़गढ़, किशनगढ गंगापुरसिटी, बारां,।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), मालपुरा,, गुलाबपुरा, रावतसर, श्री डूंगरगढ़, सरदारशहर, नोखा, भादरा, अनुपगढ़, फुलेरा, साम्भर लेक, उदयपुरवाटी, मण्डावा, शाहपुरा, नीमकाथाना, सुमेरपुर, तखतगढ़, सादड़ी, पिण्डवाड़ा, फलोदी, अन्ता, निम्बाहेडा, देवगढ़, कानोड, नाथद्वारा, बड़ी सादड़ी, सलूम्बर, नंदबई, डीडवाना, रायसिंहनगर, सुरतगढ़, पीलीबंगा, कोटपूतली।

30/10/2015

(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

एजेण्डा नं. 59/डीएलबी/एसटीपी/केटीजेड/नदबई

	शहर कस्बे का नाम	नदबई
1.	आवेदक का नाम	श्री जगदीश सिंह सचिव अवधेश माध्यमिक विद्यालय, लुहासा, नदबई
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम लुहासा के खसरा नं. 1668/1869
3.	क्षेत्रफल	1000 वर्गमीटर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, नदबई के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :-** 1. प्रश्नगत भूमि नदबई नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण पट्टी एवं वृक्षारोपण पट्टी में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 17.02.12 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। प्रश्नगत भुमि नदबई से कुम्हेर जाने वाली सडक एसएच 44 पर स्थित हैं। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सडक का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित तत्पश्चात् 30 मीटर की वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नदबई द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व पत्रिका ब्यूरो में दिनांक 23.11.11 प्रकाशित करवाई गई, जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नदबई द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग ''ब'' में प्रस्तुत की गई है। । 4. उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र के पत्र दिनांक 04.10.2012 द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति हेतु राय दी गई है, तथा मुख्य नगर नियोजक, एन.सी.आर, जयपुर द्वारा प्रकरण को राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया।	
8.	**प्रस्ताव :-** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण पट्टी एवं वृक्षारोपण पट्टी से शेक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नदबई तथा उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नदबई एवं उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नदबई एवं उप नगर नियोजक, भरतपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तो के अध्याधीन राजस्व ग्राम अन्ता के खसरा नं. 1574, क्षेत्रफल 1.68 हैक्टेयर भूमि का वृक्षारोपण पट्टी एवं परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. प्रश्नगत भुमि नदबई से कुम्हेर जाने वाली सडक एसएच 44 पर स्थित हैं। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सडक का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित तत्पश्चात् 30 मीटर की वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित है। अतः सडक के केन्द्र से 100 फीट में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पित की जावेगी। मार्गाधिकार के पश्चात 30 मीटर (100 फीट) मास्टर प्लान के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/03/2010/पार्ट-।। दिनांक 25.03.2013 अनुसार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
2. भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा।
3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर